भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1118

10 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) की खदान को निजी फर्म को पट्टे पर दिया जाना

1118. श्रीमती छाया वर्मा:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) की खदान संख्या 13 को निजी फर्म को देने के लिए करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस खदान से निकाले जा रहे लौह अयस्क और अन्य खनिजों का ब्यौरा क्या है और इनकी मात्रा कितनी है तथा करार से पूर्व का ब्यौरा क्या है जिसके आधार पर करार पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ग) करार से पूर्व उक्त खदान से कितनी मात्रा में खनिज और लौह अयस्क निकाले गए; और

(घ) छत्तीसगढ़ में निजी फर्मों को पट्टे पर दी गई या पट्टे पर दिए गए जाने के लिए प्रस्तावित ऐसी और खदानों की संख्या कितनी है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड (एनएमडीसी और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) ने छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला लौह अयस्क भंडार-13 खान के विकास और प्रचालनों के लिए एक खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से मैसर्स अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को खान डेवलपर और ऑपरेटर (एमडीओ) के रूप में नियुक्त किया है।

(ख): भारतीय खान ब्यूरो, छत्तीसगढ़ द्वारा यथा-अनुमोदित खदान का अनुमानित लौह अयस्क भंडार 324.69 एमटी है। अब तक इस खदान से कोई अयस्क नहीं निकाला गया है।

(ग): खदान एक हरित क्षेत्र परियोजना है और समझौते से पूर्व लौह अयस्क की कोई भी मात्रा नहीं निकाली गई है।

(घ): आज की तारीख में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

****